रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 13, 2016/आश्विन 21, 1938
No. 373] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2016/ASVINA 21, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2016

फा. सं. 1-99/एसपी(कन्टैम्नेन्ट्स)/आरईजी/एफएसएसएआई/2015.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा. सं. 1-99/एसपी(कन्टैम्नेन्ट्स)/ आरईजी/एफएसएसएआई/2015 तारीख 1 अप्रैल, 2016, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ, जनता को 12 अप्रैल, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है ;

अत:, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और 21 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) चौथा संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के "धातु संदूषक" सम्बन्धी विनियम 2.1 के अधीन उप विनियम 2.1.1 की सारणी से "जस्ता" सम्बन्धी क्रम संख्या (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का और जहाँ भी खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के तहत जस्ता को संदूषक के रूप में माना जाता है, से लोप किया जाएगा।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा/264 (187)]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

(i) फा. सं. 1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई/2012, तारीख 3 दिसंबर, 2014;

(ii) फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015;

(iii) फा. सं.1-99/1/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2009, तारीख 4 नवंबर, 2015;

(iv) फा. सं. 1-99/4/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2014, तारीख 4 नवंबर, 2015;

(v) फा. सं. 1-10(6)/मानक/एसपी/(मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 4 जनवरी, 2016

(vi) फा. सं. पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 जनवरी, 2016 और

(vii) फा .सं .पी-15025/264/13-पीएएफएसएसएआई/ तारीख 3 मई, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2016

F. No.1-99/SP (Contaminants)/REG/FSSAI/2015.—Whereas the draft of certain regulations, further to amend Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No.1-99/SP (Contaminants)/ REG/FSSAI/2015 dated the 1st April, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th April, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub- section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

REGULATIONS

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the "Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Fourth Amendment Regulations, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.1 relating to "METAL CONTAMINANTS" in sub-regulation 2.1.1, under the Table, serial number (5) relating to 'Zinc' and the entries relating thereto and wherever Zinc is referred to as contaminant under Food Safety & Standards (Food Products Standards and Food Additives), Regulation, 2011 shall be omitted.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./264 (187)]

Note.— The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F. No.1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated the 3rd December, 2014;

(ii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;

(iii) F. No.1-99/1/SP(Contaminants)/FSSAI/2009, dated the 4th November, 2015;

(iv) F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014, dated the 4th November, 2015;

(v) F. No.1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 4th January, 2016;

(vi) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 5th January, 2016 and

(vii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 3rd May 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.10.14 11:45:53 +05'30'